संख्या-648(2)/86-2021-03(बजट)/2020

प्रेषक,

डॉ0 रोशन जैकब,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 25 जून, 2021

विषयः-अनुदान संख्या-4, उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के राजस्व मुख्य लेखाशीर्षक-''2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उ़द्योग'' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-648/86-2021-03(बजट)/2020 दिनांक 13.04.2021 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-4, उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के राजस्व मुख्य लेखाशीर्षक-''2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उ़द्योग'' के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि रु0 5999.55 लाख (रु0 उनसठ करोड़ निन्यानबे लाख पचपन हजार-मात्र) को संलग्न उल्लिखित विवरणानुसार (जिसमें प्राविधानित कुल धनराशि रु0 5594.55 लाख (रु0 पचपन करोड़ चौरानबे लाख पचपन हजार-मात्र) का उल्लेख है) व्यय किये जाने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 13.04.2021 के प्रस्तर-1 में चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-4, उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के राजस्व मुख्य लेखाशीर्षक-''2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग'' के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि रु0 5594.55 लाख (रु0 पचपन करोड़ चौरानबे लाख पचपन हजार-मात्र) के स्थान पर त्रुटिवश धनराशि रूपये 5999.55 लाख (रु0 उनसठ करोड़ निन्यानबे लाख पचपन हजार-मात्र) अंकित हो गया है।

अतः शासनादेश संख्या-648/86-2021-03(बजट)/2020 दिनांक 13.04.2021 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित धनराशि रू0 5999.95 लाख (रूपये उनसठ करोड़ निन्यानबे लाख पचपन हजार मात्र) के स्थान पर रु0 5594.55 लाख (रु0 पचपन करोड़ चौरानबे लाख पचपन हजार-मात्र) पढ़ा जाय। तद्नुसार उक्त सीमा तक शासनादेश दिनांक 13.04.2021 संशोधित माना जाय।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः 648(3)/86-2021, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार लेखा-परीक्षा (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय ,125 जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/3
8. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।